

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 015/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनू।

— प्रार्थी

बनाम

1. मणीदेवी पत्नी भेरूराम, जाति मेघवाल, सा. देह गैरखातेदार, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. शारदा पुत्री भेरूराम, जाति मेघवाल, सा. देह गैरखातेदार, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. लिला पुत्री भेरूराम, जाति मेघवाल, सा. देह गैरखातेदार, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू।
4. सुमन पुत्री भेरूराम, जाति मेघवाल, सा. देह गैरखातेदार, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू।
5. गोरधन पुत्र भेरूराम, जाति मेघवाल, सा. देह गैरखातेदार, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू।
6. दिनेश पुत्र भेरूराम, जाति मेघवाल, सा. देह गैरखातेदार, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट- प्रार्थी की ओर से।
2. श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत, एडवोकेट- अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.12.2021

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से हैं कि मौजा कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 289 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 699 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी भेरूराम पुत्र भजराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:-

क.स.	जमाबन्दी संवत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012-2015	217	89बीघा	बंजड द्वितीय	पाना मुस्तरका राजकीय हिस्सा 1/2 पाना संग्राम सिंह जी हिस्सा 1/2

2	2015-2018	217	89बीघा	बंजड़ द्वितीय	सरकार
3	2017-2020	217	75बीघा 8बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	राजकीय
4	2021-2024	217	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति दरोगा नि. ग्राम गैरखातेदार
5	2025-2028	217 / 14	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति दरोगा नि. ग्राम गैरखातेदार
6	2029-2032	217 / 14	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति दरोगा नि. ग्राम गैरखातेदार
7	2033-2036	217 / 14	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति चमार नि. ग्राम गैरखातेदार
8	2042-2045	217 / 14	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति चमार नि. ग्राम गैरखातेदार
9	2046-2049	217 / 14	2बीघा 10बिश्वा	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति चमार नि. ग्राम गैरखातेदार
10	2060-2063	699	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति चमार नि. ग्राम गैरखातेदार
11	2062-2063	699	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति चमार नि. ग्राम गैरखातेदार
12	2063-2066	699	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति चमार नि. ग्राम गैरखातेदार
13	2067-2070	699	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति मेघवाल नि. ग्राम गैरखातेदार
14	2071-2074	699	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति मेघवाल नि. ग्राम गैरखातेदार
15	2074-2077	699	0.64है0	बंजड़ द्वितीय	भेरूराम पुत्र भजूराम जाति मेघवाल नि. ग्राम गैरखातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012-2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नहीं है इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़गी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना-पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना-पत्र राजहक में पेश है अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 289 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 699 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड़ द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने

के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित मे दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।


2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 17.11.2021 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात सम्वत् 2012-15 में गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2012 में वादग्रस्त भूमि बारानी दायम दर्ज है। गैर खातेदारी का कभी भी उक्त राजस्व जमाबन्दी में सम्वत् 2012 में कहीं भी इन्द्राज नहीं है। लेकिन वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त तथ्य की पुष्टि खसरा गिरदावरी से भी होती है, जिसमें वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त होना माना है। प्रार्थी ने उक्त धारा में वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी होना सरासर राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर दर्ज की है। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि कभी नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त करते आ रहे है तथा काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण के पूर्वज की ओर से तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष वादग्रस्त भूमि के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे परन्तु तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनू द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 9 की पालना नहीं की जबकि उक्त धारा के अनुसार अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर तहसीलदार को वादग्रस्त आराजीयात को खातेदारी में दर्ज करने के लिए पाबन्द है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रदान की जावें।
3. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 699 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 2 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012-2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 217 की गैर खातेदारी भेरुराम पुत्र भजूराम, हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल, सा0 देहगैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।
4. अप्रार्थी वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का हिस्सा 1/2 संवत् 2012-2015 मे पाना संग्राम सिंह के नाम था। अप्रार्थीगण पाना संग्राम सिंह के उप कृषक थे। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की खातेदारी की पास बुक जारी की हुई है एवं अप्रार्थीगण द्वारा समय-समय पर सरकार को लगान अदा किया गया है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र गलत रूप से पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया , बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 289 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 699 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थी के पूर्वज के नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :-
 1. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है तथा भूमि गैर खातेदारी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में अप्रार्थी का तर्क यह

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

रहा है कि विवादित आराजी कभी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है। बल्कि आराजी सम्वत् 2021 से अप्रार्थीगण के पिता के कब्जा काशत की भूमि रही है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके इस तर्क को सही माना जा सके की भूमि सार्वजनिक उपयोग भूमि रही है।

2. अप्रार्थी का दुसरा तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि विवादित आराजी ग्राम कालीपहाड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 217 सम्वत् 2012 से 2015 तक गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में गोचर भूमि, नदी, तल अथवा तालाब तथा किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को माना है। प्रकरण में विवादित आराजी किस्म बंजड़ द्वितीय दर्ज रही है, जो गैर खातेदारी में रही भूमि है। विवादित आराजी पर राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
3. राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2021 से अर्थात 54 साल से अप्रार्थीगण के पिता नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन की किस्म बजंड द्वितीय है तथा अप्रार्थीगण भूमि का कर दे रहे है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी में काशत का अंकन है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है।
4. इसी संबंध में हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक F.9(8)Rev-6/2017pt./135 jaipur, Dated 01.12.2021 को जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा राजस्थान भू - राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 18 में संशोधन करते हुये नियम 18 की धारा 4(भूमि, जो इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी) के अलावा अन्य भूमियों में अधिसूचना में अंकित शर्तों अनुसार गैरखातेदारी से खातेदारी दी जा सकती है।
5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार झुंझुनू राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.12.2021 के अनुसरण में नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 जिला कलक्टर झुंझुनू
 (उमर दीन खान)
 06/12/21
 जिला कलक्टर,
 झुंझुनू